

कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र ।

पत्रांक: 24 /जिविसेप्रा/सोनभद्र/2025

दिनांक: अगस्त 11, 2025

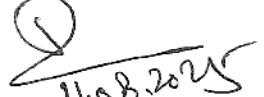
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के पत्रांक 2448/एसएसएसए-83 /2025 (संदीप/रि) दिनांकित: 04.08.2025 के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति, माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, मध्यस्थ के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों को सुलह-समझौता के आधार पर निस्तारण कराया जाना है।

उक्त के क्रम में मध्यस्थता केन्द्र, जनपद न्यायालय, सोनभद्र में सुलह-समझौता के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण कराये जाने हेतु न्यायालय द्वारा संदर्भितवादों में मध्यस्थता की कार्यवाही जनपद सोनभद्र में वर्तमान में निवासरत इच्छुक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण से करायी जानी है।

अतः वर्तमान में जनपद सोनभद्र में निवासरत समस्त सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण, जो कि मध्यस्थता केन्द्र जनपद न्यायालय सोनभद्र में मध्यस्थता की कार्यवाही कराते हुए प्रकरणों के निस्तारण कराये जाने हेतु इच्छुक है, ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर मध्यस्थता कराये जाने हेतु अपने इच्छा की लिखित सहमति प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक:- 11.08.2025

भवदीय



(शैलेन्द्र यादव)

अपर जनपद न्यायाधीश/मन्त्रिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र

प्रतिलिपि:

1. सिस्टम आफिसर जनपद न्यायालय, सोनभद्र को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।